रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092020-221609
CG-DL-E-08092020-221609

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2698] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2020/भाद्र 16, 1942
No. 2698] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2020/BHADRA 16, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2020

का.आ. 3030(अ).— प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 637 (अ), तारीख 6 फरवरी, 2020, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 10 फरवरी, 2020, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला में स्थित है। अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या डब्ल्यूएलपी-0514/सीआर-106/ एफ-I- दिनांक, 27 अगस्त, 2014 को अधिसूचित किया गया था;

और अभयारण्य क्षेत्र में पर्याप्त पारिस्थितिकी, जीवजंतु, वनस्पति, भू-आकृति विज्ञान, प्राकृतिक और प्राणिविज्ञान का महत्व है। अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 420.0 वर्ग किलोमीटर है;

और, क्षेत्र में बहुत प्रचुर जीवजंतु और वनस्पति विविधता के साथ स्तनधारियों की लगभग 22 प्रजातियां, सरीसृपों की लगभग 12 प्रजातियां और उभयचरों की कई प्रजातियां हैं। इस क्षेत्र की वनस्पति का प्रतिनिधित्व) "3बी/सीआईबी: दक्षिण भारतीय आर्द्र पर्णपाती वन और (ii) 5ए/दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन" द्वारा है जिसमें प्रजातियां जैसे अचार/ चार/ चरोली (बुकाननिया लैंजान), अमलतास/बहावा(कैसिया फिस्टुला, लिनन), अमता (बौहिनिया मालाबारिका, रोक्स्ब), अन्जान (हार्डविकॉन बिनाटा, रोक्स्ब), अपटा (बौहिनिया रेसेमोसा, लैम्क), औनला (इम्बलिका ओफिसिनालिस), अर्जुन (टर्मिनलिया अर्जुन), बबुल (अकेशिया निलोटिका लिनन), बहेड़ा (टर्मिनालिया बेलिरिका, गैरटन), बेल (एगल मरमेलोस(एल)), भिर्रा (क्लोरोक्सिलीन स्वेटेनिया), बिबा/भिलवा (सेमेकार्पस एनाकार्डियम, लिनन), बिजा (टेरोकार्पस-मार्सुपियम, राक्सब), बिस्तेन्दु (डायोस्पायरोस मोंटाना, रॉक्सब), बोर/बेर (ज़िजिफ़स मौरिटिआना, लामक), चिचवा (अल्बिजिया ओजोराटिसिमा, रॉक्सब), धामन (ग्रेविया टिलिफोलिया वाहल), धौड़ा (एनोगेइसस लैटिफोलिया), धोबन/ सतपुडा(डलबर्गिया पैनीकुलाटा, राक्सब), दिकामाली (गार्डेनिया रेसिफ़ेरा, रोथ), गरारी (क्लिस्टेनिथस कोलिनस, रोक्सब), घोगर/पपड़ा (गार्डेनिया लैटीफोलिया ऐट), गोंगल (कोचलोस्पेरम रेलिगिओसम लिनन), हल्दू (अदीना कॉर्डिफोलिया), हिंगन (बालानाइटस इजिपटिका (एल) डेल).हिवार (अकाकिया ल्यूकोफोया रॉक्सब वाइल्ड), इमली/चिंच (टमराइन्ड इंडिका), जम्भुल / जामुन (सिज़ीगियम क्यूमिनी लिनन), काला-अंबर (फ़िकस हिसपिडा), कलाम्ब (मित्राग्याना परविफ्लोरा रोक्सब), आदि सम्मिलित हैं;

और, प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य में महत्वपूर्ण झाड़ियाँ आल (मोरिंगा सिट्रिफ़ोलिया लिन), अगहड़ा (अचिरन्थस एस्पेरा लिनन), अकोला (अलंगियम सालिफोलियम थ्वाइट्स), बन राहर (फ्लेमिंगिया सेमियालता रॉक्सब), बैबिरंग (एम्बेलिया रिब्स), बंकापास/रंकापास (थेस्पेशिया लैम्पस), भारती (मेटेनस इमरगिनाटा बेंथ), चिंड/ सिंधी (फीनिक्स सिल्वेस्ट्रिस रोक्सब),चिप्टी (देसमोडियम पेल्चल्लुम बेंथ), धवई/जिल्बीली (वुडफोर्डिया फ्रूटिकोसा कुर्ज), डिकमाली (गार्डेनिया रेसिफेरा रोथ), गुरुमुखी / गुरुसुत्री (ग्रेविया हिरसुता), गोखरू (ट्रिबुलस टेरेस्ट्रेस, लिनन), हरसिंगार/खरसुई (नाईकटान्थस अरबोरट्रीसटीस), जिने (लिक्रिस्पा), रणभेंडी (डोडोनिया विस्कोसा), कोरिल (पेटेलिडियम बैलरियोसाइड्स नीस), कस्तेरुआ (ह्यग्रोफिला ऑरिकुलटाटा केचुम), खिरोती (ग्रेया हिरसुता वाहल), कुदरसी (ब्रिडेलिया हैमिल्टनियाना वाल),कुदमुदी (गार्डेनिया गुम्मीफेरा लिनन), कूडा (होलेरहेना प्यूबेंसेंस (बुच, हैम), काला कुड़ा (राइटिया टिनक्टेरिया), कुचला (स्ट्राइकोनोस नक्सवामिका), लोखंडी (इक्सोरा आर्बोरिया रोक्सब), मोरारफाल (हेलिटेरेस इसोरा लिनन), मरुआदोना (कारविया कैलोसा नेसस), निर्मली (स्ट्राइकोनोस पोटेटोरम), नील (इंडिगोफेरा टिनक्टेरिया),फेटरा-सफेद (गारडेनिया टुरगिडा रॉक्सब), फेटरा-काला (टमिलनाडिया उलिगिनोसा (रेट्ज़), तरवाड (कैसिया ओरिकुलाटा), टैरोटा (कैसिया टोरा लिनन),थुआर (यूफोरबिया टिरुकैली लिनन), वारांगल (केलास्ट्रुस पैनिकुलाटा वाइल्ड),आदि उपलब्ध हैं;

और, अभयारण्य से घासों और बांस प्रजातियां बाँस-करका (डेंड्रोकलामस स्ट्रीक्टस रोक्सब), बाँस-कटंग (बंबूसा अरुंडिनेशिया वाइल्ड), भुरभुसी (एराग्रोस्टिस टेनेला रोम और शल्फ़), चीर (इम्पीटा ओफ़िसिनैलिस), दुब घास (साइनाडोन डेक्टाइलोन), ग़ोनाड (थेमेडा ट्रिन्ड्रा), गोधेल (इराग्रोस्टीस इन्टेराप्टा), गोरन्ती (पेटेलिडियम बेरलियोड्स), कुसाल/स्पियर घास (हेटेरोपोगोन कंटोर्टस लिनन ब्यू), कटानबहारी (अरिस्टिडा फनीकुलता त्रिनेत्रूपा),कुंडा/सुम (ईयूलियोप्सिस बिनता रेट्ज़ मार्क), मार्वल-बिग (डीकेंथियम एरिस्टैटम पोइर), मार्वल-स्मॉल (डीकेंथियम एनुलैटम फोर्सेक), मुंज घास (सैकरम स्पोनटेनम), मुशन (इसेलीमा लेक्सम हैक), पैन्या (सेहिमा सुलकैटम हैक अकैमस), शेड (सेहिमा न्यूरोसम स्टाफ), टैचुला/भोंगटा (अप्लुडा म्यूटिका), टाइगर ग्रास (थिसानोलाएना मैक्सिमा), टिखड़ी (सिंबोपोगोन मार्टिनी रॉक्स वाटसन),आदि अभिलिखित की गई हैं; जबकि अभयारण्य की महत्वपूर्ण पर्वतरोहियां बैंडके (डेंड्रोपथो फाल्केट

लिनन), चिलर (केसलपिनिया डेकापेटाला रॉक्सब), चिल्ती (मिमोसा हेमता वाइल्ड), चिल्ली बडी (अकाकिया टॉर्टा डब्ल्यू एण्ड ए), धिमारवल (सेलास्ट्रस पैनकुलाटा वाइल्ड), दुधि/नागवेल (क्रिप्टोलेपिस बुचानानी रोएम),एरोनी (ज़िज़िफ़स ओनोप्लेया लिनन), गुंज (अरबस प्रीटोरियस लिनन), गुलवेल (टीनोस्पोरा कॉर्डिफ़ोलिया वाइल्ड), गुरार, नासेवेल (मिलोटिया एक्वास्टा बेकर), कजकुरी (मुकुना प्रूरीन्स एल),खाडायनाग (ग्लोरियोसा सुपर्ब), खोबारवेल (हेमाइड्समस इंडिकस लिनन), कुकुरंजी (कैलिकोप्टेरिस फ्लोरिबुन्डा), महुलवेल (बाउहिनिया वाहली वान्ड ए), मुसलीकांड (डायोकोरिया पेंटाफिला लिनन),पपरी, लालवेल (वेंटिलेज डेंटिकुलटा वाइल्ड), पैलेसवेल (ब्यूटिया सुपर्ब रोक्सब), पिवरवेल (कॉम्ब्रेटम ओवलिफोलियम रॉक्सब), रामदाटन (स्मिलैक्स मैक्रॉफी रॉक्सब), शतोरी (एस्पैरागस सिस्मोसस), आदि हैं;

और, क्षेत्र महत्त्वपूर्ण वन्यजीव का भी आश्रय प्रदान करता है जिसमें स्तनधारी जैसेमुंजक (मुंटियाकस मुंटजैक), भारतीय भैंसा (बोस गोरस), ब्लू बुल (बोसेलाफस ट्रागोकेमेलस), सामान्य लंगूर (प्रेस्बिटिस एंटेलस), सामान्य मोंगोज (हर्पीस्टेस विटिओलिस), हिरण (एक्सिस एक्सिस), फ्लाइंग गिलहरी (पेटैरिस्टा पेटैरिस्टा), चौसिंगा मृग (टेट्रासेरस क्वाड्रिसोर्निस), विशाल गिलहरी (रतूफा इंडिका), खरगोश (लेपस रुफिकुडाटस), भारतीय लोमड़ी (वुलप्स बेंगालेंसिस), भारतीय भेड़िया (कैनिस लुपस), सियार (कैनिस ऑरियस), जंगल बिल्ली (फेलिस चाउस), तेंदुआ (पेंथेरा पार्डस), बंदर, रीसस मैकाक (मैकका मुलाटा), माउस डियर (ट्रागुलस मेमिना), ओटर (लुट्रा परसपिसिलाटा), पैंगोलिन (मैनिस क्रसिकाप्टाटा),साही, भारतीय क्रेस्टेड साही, भारतीय साही (हिस्ट्रेक्स इंडिका), सांभर (कर्वस यूनिकोलर), रीछ (मेलुरस अरसिनस), छोटी भारतीय सिवेट (विवरिकुला इंडिका), धारीदार लकड़बग्घा (हेयना हेयना), ट्री श्रेव, इंडियन ट्री श्रेव (अनाथाना इलिओटी), जंगली सूअर (सुस क्रिटेटस), जंगली भैंस (बुबलस बुबलिस), जंगली कुत्ता (क्यून अल्पिनस),आदि शामिल हैं। अभयारण्य से सरीसृपगिरगिट (चैमेलिओन कैकेरैटस), फैन थ्रोटेड छिपकली (साइटाना पोंटेसरिआना), मॉनिटर छिपकली (वारानस ग्रिसेसस), रॉक अगमा (सामोफिलस डोरसालिस), बैंडेड क्रेट (बुंगेरस फैसिअसटस), सामान्य करैत (बंगरुंग कैसर्यूलस), कॉमन वाइन स्नेक (अबैटुला लैसुटाला),ग्रीन कीलबैक (मैक्रोपिसथोडन प्लंबिकोलर), कोबरा (नाज़ा नाज़ा), रैट स्नेक (पाइटस म्यूकोसस), रसेल वाइपर (वाइपेरा रुसेली), साव स्केल्ड वाइपर (इचिस कैरिनैटस), आदि अभिलिखित किए गए हैं;

और, प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य पक्षी की प्रजातियों के साथ पक्षी-जीव के लिए जाना जाता है जिसमें आशि प्रिनिया (प्रिनिया सोशियालिस), एशियन कोयल (यूडोनॉइमिस स्कोलोपेसस), एशियन पैराडाईस फ्लाइकैचर (टेरसिपफोन पैराडाइज), बार हेडेड गूज (एनसर इंडिकस), बे बैक्जश्राइक (लैनिअस विट्टैटस), ब्लैक ड्रोंगो (डिकरुरस मैक्रोक्यूरकस), ब्लैक इबिस (सेडिबिस पैपिलोसा), ब्लैक नेप्ड मोनार्क (हाइपोथिमिस एज्यूरिया),ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट (हिमांटोपस हिमांटोपस), ब्लू जे (कोरैसिअस बेंगालेंसिस), ब्राह्मिणी मैना (स्टर्निया पैगोडोरम), मवेशी एगरेट (बुबुलकस इबिस कोरोमंडस), क्लोरोप्सिस (क्लोरोप्सिस कोचिनचिनेंसिस), सामान्य कबूतर (स्टिग्माटोफिला चिनेंसिस),सामान्य मैना (अक्रिडोथेरेस ट्रिस्टिस), क्रो फिजंट (सेन्ट्रोपस सिनेंसिस), ग्रे जंगल फाउल (गैलस सोनरट्टी), जंगल कौवा (कोरवस मैक्रोरिनचोस), हाउस गौरैया (पासेर डामेस्टिकस), चित्तीदार उल्लू (एथेन ब्रामा), वाइट गिद्ध (जिप्स सिग्नस), रोज रिंग्ड पैराकिट (सिटासुला क्रेमेरी),आदि सम्मिलित हैं;

और, प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधिता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा और (1) उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए, महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरौली जिला के प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य से 6.3 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य से 6.3 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 532.10 वर्ग किलोमीटर है।

(2) प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांशों और देशांतरों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के सीमांकित होते हुए प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध-II क, उपाबंध-II ख, उपाबंध-II ग,** और **उपाबंध-II घ** के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** के सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी.-

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि;
(iv) राजस्व;
(v) शहरी विकास;
(vi) पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(ix) नगरपालिका;
(x) पंचायती राज;
(xi) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और
(xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैराग्राफ-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटर समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.**-राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.**–(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.**-आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.**-(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात:-

(i) *संरक्षित क्षेत्र* की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि *संरक्षित क्षेत्र* की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिजॉर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.**-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.-पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**-ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**-जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.**-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.**-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.**-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.**-यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम

प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण.**-लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.**-(क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.**-पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं. **(1)**	**क्रियाकलाप** **(2)**	**वर्णन** **(3)**
	अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने व्यक्तिगत उपभोग के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनकों तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगी, (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त ,2006 और रिट याचिका (सी)

		सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल ,2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
9.	पॉलिथीन बैग का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
10.	नई काष्ठ आधारित उद्योग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	आ. विनियमित क्रियाकलाप	
11.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:

		परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे:- परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
13.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे ।
15.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
16.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
17.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
19.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।

21.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित।
22.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात।
23.	फर्मों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे।
24.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
25.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
26.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
28.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
29.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
30.	पवन चक्कियां और टरबाइन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
	इ. संवर्धित क्रियाकलाप	
31.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है।
36.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	निम्नीकृत भूमि/ वन / वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति-केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्रम सं.	मानीटरी समिति का गठन	पद
(i)	जिला कलेक्टर, गढ़चिरौली	पदेन, अध्यक्ष;
(ii)	मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक), गढ़चिरौली	सदस्य;
(iii)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(v)	शहर योजना अधिकारी, गढ़चिरौली का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(vi)	पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(vii)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	सदस्य;
(viii)	जैव विविधता बोर्ड, महाराष्ट्र राज्य नागपुर का एक प्रतिनिधि	सदस्य; और
(ix)	उप वन संरक्षक, सिरोंचा	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश–निबंधन.- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और तत्पश्चात मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की जो भारत सरकार के तत्कालीन और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते है, सिवाय इसके पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध V में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/24/2017-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

महाराष्ट्र राज्य में प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा सिरोंचा वन संभाग के चरम उत्तर पश्चिमी भाग से आरंभ होती है और सिरोंचा और अल्लापल्ली वन संभाग की बाहरी सीमा बनाकर पूर्वी दिशा की ओर जाती है। यह कोलप्लली एम ग्राम के उत्तर पश्चिम कोण में दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है। इसके अतिरिक्त यह उस ग्राम की उत्तरी सीमा और आधे रास्ते के साथ जाती है, नन्दीगांव ग्राम की उत्तरी सीमा को आच्छादित करके पूर्व की ओर मुड़ती है। इसके बाद तिमाराम ग्राम के निकट, यह दक्षिण की ओर मुड़कर और दक्षिणी सीमा से तिमाराम ग्राम को आच्छादित करता है और इसके अतिरिक्त पूर्व की ओर और दक्षिण पूर्व दिशा से होकर रायगट्टा ग्राम की पूर्वी सीमा से मुड़ती है। यह चल्लेवाड़ा ग्राम की पश्चिमी सीमा के आड़े-तिरछे जाती है। तातिगुडुम ग्राम की पश्चिमी सीमा पर, यह यू टर्न लेती है और तातिगुडुम ग्राम की उत्तर पूर्व सीमा और गोटेलिंगमपल्ली ग्राम की उत्तरी सीमाकी ओर जाती है। केपी037 कम्पार्टमेंट को पार करने के बाद, यह दक्षिण-पूर्व दिशा में जाती है;केपी038 और केपी059 की पश्चिमी सीमा को आच्छादित करने के बाद, यह कोलमार्का संरक्षण रिज़र्व की पश्चिमी सीमा के साथ मिलती है और यह केपी043 और डीपी028 कम्पार्टमेंट की पूर्वी सीमा बनाकर दक्षिण की ओर मुड़ती है। पट्टीगांव ग्राम की पश्चिमी सीमा पर, यह पश्चिम की ओर मुड़ती है और लखानगूदा ग्राम की पश्चिमी सीमा पर आच्छादित करती है जहां यहरेदरंगा, मेदपल्ली और जिम्मलगट्टा एस ग्रामों के उत्तरी सीमा बनाकर एफडीसीएम कम्पार्टमेंटों जेपी263, जेए058 औरजेए057 की उत्तरी सीमा और जेए086 औरजेए085 और एफडीसीएम कम्पार्टमेंट जेपी35 औरजेपी33की उत्तरी सीमा को आच्छादित करके उत्तर पश्चिम दिशा में जाती है। अब, यह कम्पार्टमेंट जेपी252, जेपी253, जेपी331, जेपी339 औरएसए068की पश्चिमी सीमा बनाकर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है। यह इसके बादएसए056, एसए057 औरएसए052की पश्चिमी सीमा को आच्छादित करके पश्चिम-दक्षिण दिशा में जाती है। इसके बाद यह रोमपल्ली ग्राम की उत्तरी सीमा बनाकर उत्तर की ओर मुड़ती है ओर मदराम, कम्बलपेठा आरवाई. की दक्षिणी सीमा बनाकर पश्चिम दक्षिण मुड़ती है। इसके बाद यह कम्बलपेठा चाक ग्राम की पूर्वी सीमा बनाकर दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़ती है और उसी ग्राम की पश्चिमी सीमा को बनाकर यू टर्न आकार में जाती है। इसके अतिरिक्त यह कम्बलपेठा और बोरमपल्ली मल ग्रामों की दक्षिणी सीमा के बीच में पूर्व की ओर मुड़ती है। यह टेकदा ताला ग्रामों की पूर्वी सीमा पर दक्षिण की ओर मुड़ने से पहले बोरमपल्ली मल की दक्षिणी सीमा को आच्छादित करती है और उसी ग्राम की दक्षिणी सीमा को आच्छादित करके ग्लोसफर्ड पेठा ग्राम के उत्तर पश्चिमी कोण में प्रणहिता नदी से मिलती है।

इसके अतिरिक्त, चिकियाला ग्राम केनदी के सामने सीमा पूर्व की ओर मुड़कर उत्तर दिशा में जाती है, पुनः रेगुनथा मल केनदी के सामने सीमा उत्तर की ओर जाती है. इसके अतिरिक्त सोयाबीनपेठा केनदी के सामने सीमा पर उत्तर पूर्व की ओर मुड़ती है, पुनः अवलमरी ग्राम केनदी के सामने सीमा पर उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़ती है और वत्रा खुर्द एम ग्राम के नदी के सामने सीमा पर उत्तर की ओर मुड़कर और सिरौंचा वन संभाग के चरम उत्तर पश्चिमी कोण से मिलती है।

उपाबंध-IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन और प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र

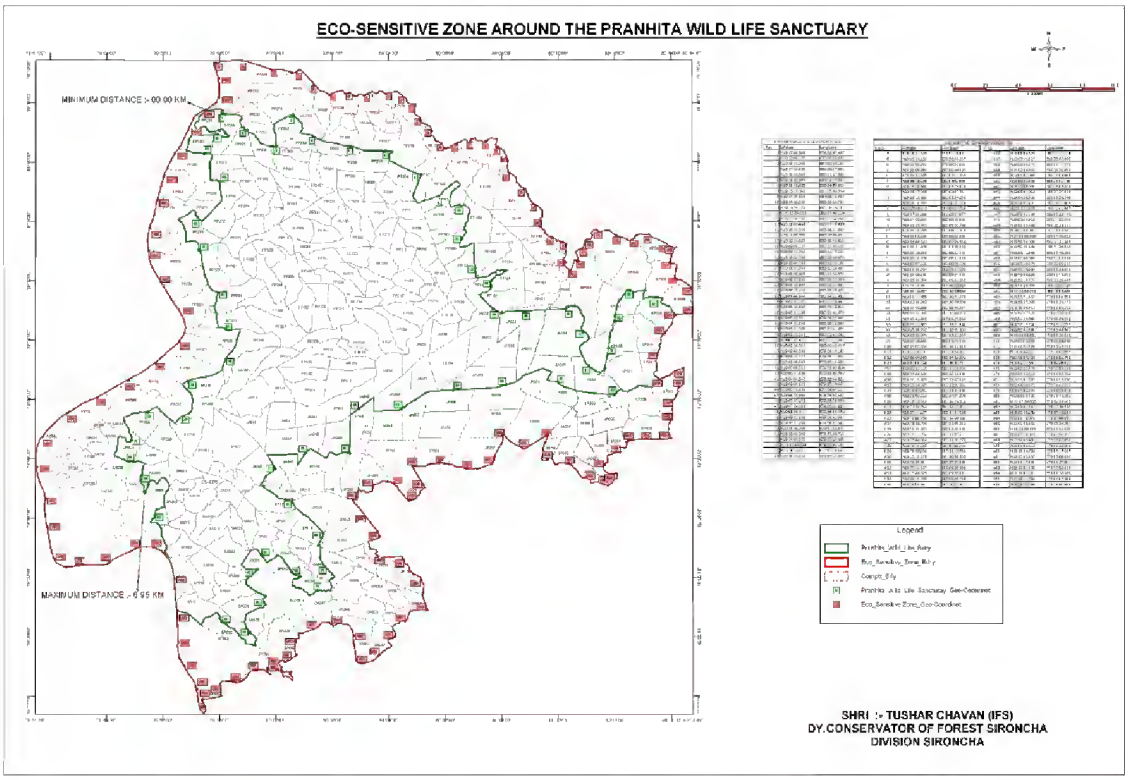

उपाबंध-IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य के ग्राम सीमा को दर्शाने वाले पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

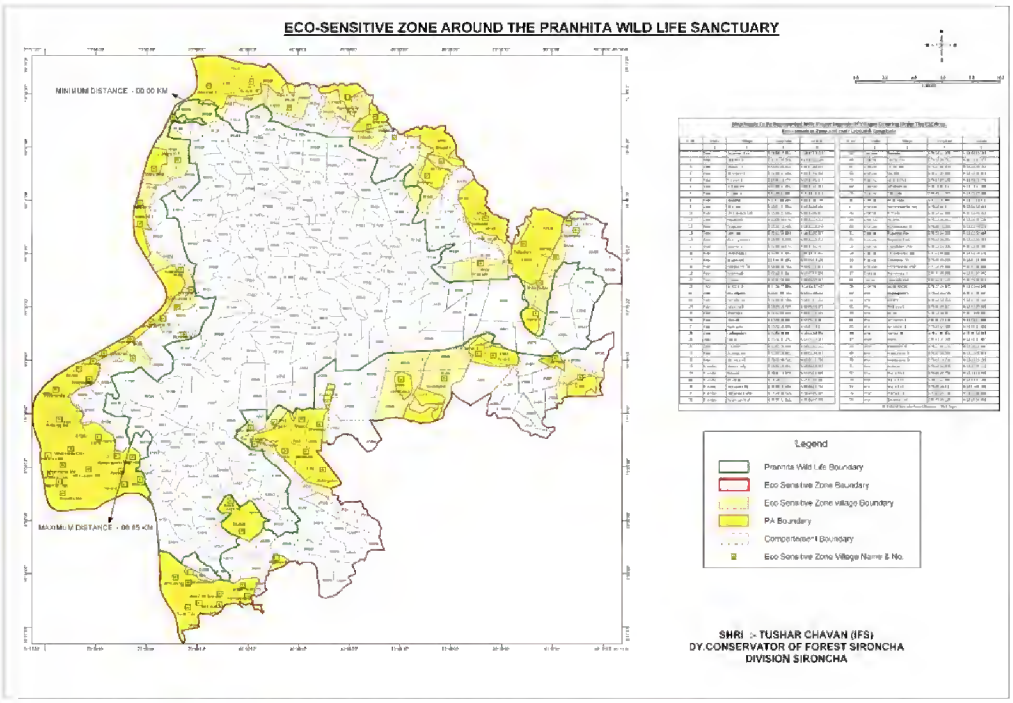

उपाबंध-IIग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

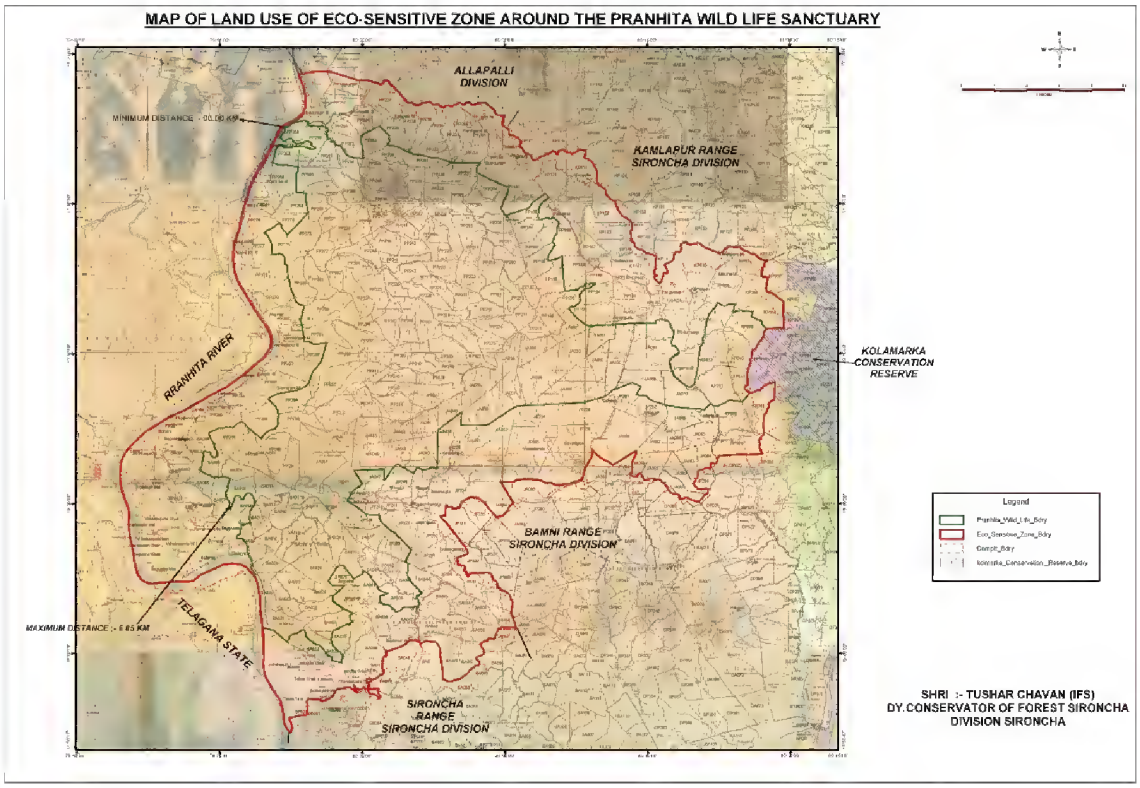

उपाबंध-IIघ

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की कम्पार्टमेंट सीमा को दर्शाने वाला मानचित्र

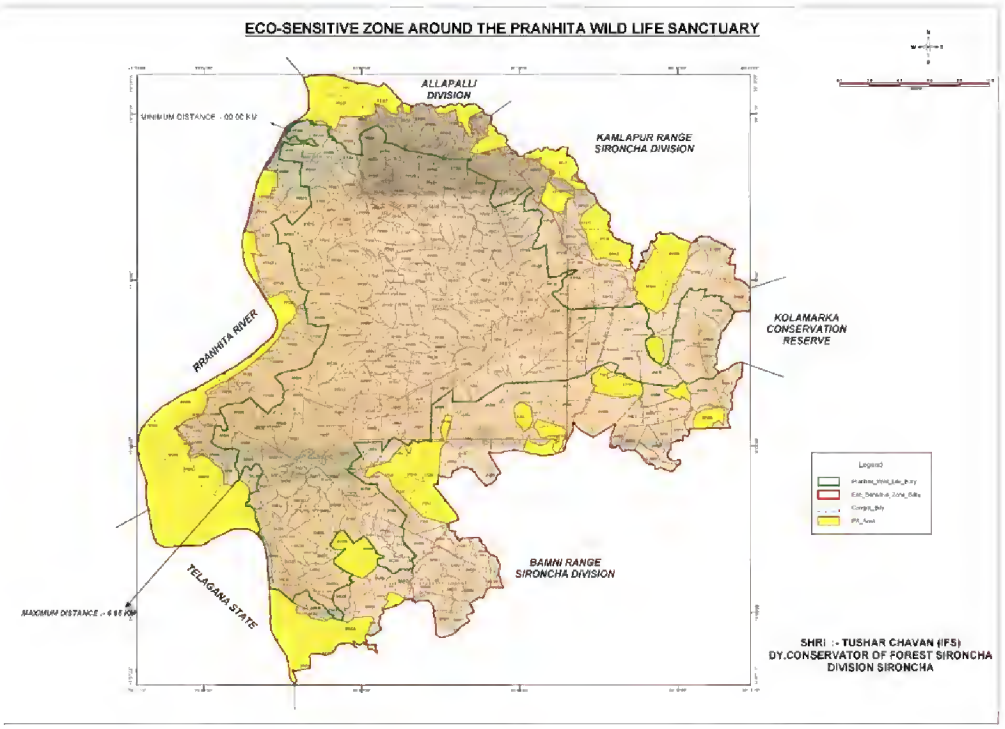

उपाबंध-III

सारणी क: प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर
1.	उ 19°17'45.349"	पू 79°58'07.647"
2.	उ 19°17'05.172"	पू 79°58'53.635"
3.	उ 19°16'32.909"	पू 79°59'59.102"
4.	उ 19°17'35.589"	पू 80°00'37.681"
5.	उ 19°16'52.849"	पू 80°01'17.541"
6.	उ 19°16'32.076"	पू 80°02'37.262"
7.	उ 19°16'19.431"	पू 80°04'07.695"
8.	उ 19°15'35.040"	पू 80°05'08.534"
9.	उ 19°14'50.656"	पू 80°05'46.652"
10.	उ 19°14'33.536"	पू 80°06'30.781"
11.	उ 19°13'26.374"	पू 80°06'36.735"
12.	उ 19°12'24.083"	पू 80°07'04.114"
13.	उ 19°11'56.791"	पू 80°07'35.797"
14.	उ 19°11'02.651"	पू 80°07'44.324"
15.	उ 19°10'57.309"	पू 80°08'52.003"
16.	उ 19°11'07.001"	पू 80°10'19.831"
17.	उ 19°10'14.869"	पू 80°10'53.616"
18.	उ 19°09'08.107"	पू 80°11'04.250"
19.	उ 19°09'43.066"	पू 80°11'47.478"
20.	उ 19°10'47.768"	पू 80°12'00.478"
21.	उ 19°11'40.238"	पू 80°12'33.100"
22.	उ 19°11'26.746"	पू 80°13'24.491"
23.	उ 19°08'08.624"	पू 80°11'58.573"
24.	उ 19°08'36.830"	पू 80°09'57.404"
25.	उ 19°08'29.997"	पू 80°08'12.043"
26.	उ 19°08'17.455"	पू 80°06'16.401"
27.	उ 19°07'44.944"	पू 80°04'31.462"
28.	उ 19°07'41.720"	पू 80°02'56.392"
29.	उ 19°06'10.957"	पू 80°02'38.811"

30.	उ 19°06'12.195"	पू 80°01'02.472"
31.	उ 19°05'38.414"	पू 79°59'57.390"
32.	उ 19°04'37.360"	पू 80°00'22.220"
33.	उ 19°03'31.006"	पू 80°01'41.409"
34.	उ 19°02'22.218"	पू 80°01'45.249"
35.	उ 19°01'32.970"	पू 80°01'27.266"
36.	उ 19°02'10.014"	पू 80°00'32.487"
37.	उ 19°02'43.391"	पू 79°59'29.141"
38.	उ 19°02'16.527"	पू 79°59'21.866"
39.	उ 19°01'08.960"	पू 79°59'34.281"
40.	उ 19°00'08.311"	पू 79°59'05.614"
41.	उ 19°00'31.504"	पू 79°58'05.702"
42.	उ 19°04'04.342"	पू 79°55'44.822"
43.	उ 19°05'07.832"	पू 79°55'30.667"
44.	उ 19°05'53.401"	पू 79°54'49.115"
45.	उ 19°06'36.956"	पू 79°54'53.803"
46.	उ 19°07'33.141"	पू 79°55'28.889"
47.	उ 19°07'24.619"	पू 79°56'43.832"
48.	उ 19°08'35.444"	पू 79°56'52.374"
49.	उ 19°09'21.863"	पू 79°58'11.597"
50.	उ 19°10'21.289"	पू 79°58'11.586"
51.	उ 19°11'36.993"	पू 79°57'56.578"
52.	उ 19°13'02.052"	पू 79°57'16.713"
53.	उ 19°14'07.582"	पू 79°57'15.409"
54.	उ 19°15'20.042"	पू 79°58'02.103"
55.	उ 19°16'16.610"	पू 79°57'24.803"
56.	उ 19°16'16.610"	पू 79°57'24.803"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं	देशांतर	अक्षांश	बिंदु आई डी
1	79° 57' 46.624" पू	19° 19' 18.974" उ	ए
2	80° 00' 53.319" पू	19° 19' 08.039" उ	बी
3	80° 01' 53.162" पू	19° 18' 20.594" उ	सी

4	80° 05' 00.930" पू	19° 18' 06.981" उ	डी
5	80° 06' 06.757" पू	19° 16' 33.116" उ	ई
6	80° 07' 43.390" पू	19° 16' 55.992" उ	एफ
7	80° 10' 25.592" पू	19° 12' 16.447" उ	जी
8	80° 11' 29.342" पू	19° 13' 41.875" उ	एच
9	80° 14' 20.520" पू	19° 13' 10.396" उ	आई
10	80° 14' 42.264" पू	19° 10' 50.662" उ	जे
11	80° 13' 34.057" पू	19° 08' 41.469" उ	के
12	80° 14' 35.527" पू	19° 09' 06.413" उ	एल
13	80° 13' 58.016" पू	19° 06' 36.328" उ	एम
14	80° 11' 41.949" पू	19° 05' 42.272" उ	एन
15	80° 11' 46.287" पू	19° 05' 00.563" उ	ओ
16	80° 09' 36.987" पू	19° 06' 47.033" उ	पी
17	80° 08' 02.663" पू	19° 06' 51.279" उ	क्यू
18	80° 07' 36.293" पू	19° 05' 50.827" उ	आर
19	80° 04' 51.785" पू	19° 05' 50.920" उ	एस
20	80° 04' 42.978" पू	19° 04' 40.027" उ	टी
21	80° 02' 35.772" पू	19° 04' 35.899" उ	यू
22	80° 03' 50.315" पू	19° 03' 31.236" उ	वी
23	80° 03' 48.101" पू	19° 02' 37.021" उ	डब्ल्यू
24	80° 05' 11.403" पू	19° 01' 53.198" उ	एक्स
25	80° 05' 28.903" पू	19° 00' 40.207" उ	वाई
26	80° 03' 01.988" पू	18° 58' 58.088" उ	जेड
27	80° 02' 02.822" पू	19° 00' 19.425" उ	एए
28	80° 00' 48.281" पू	18° 59' 21.048" उ	बीबी
29	80° 00' 32.934" पू	18° 58' 26.833" उ	सीसी
30	79° 59' 49.098" पू	18° 58' 35.175" उ	डीडी
31	79° 58' 08.274" पू	18° 58' 28.910" उ	ईई
32	79° 58' 01.704" पू	18° 57' 59.716" उ	एफएफ
33	79° 57' 24.455" पू	18° 57' 18.003" उ	जीजी
34	79° 56' 14.208" पू	19° 02' 30.766" उ	एचएच
35	79° 52' 17.400" पू	19° 02' 24.388" उ	आई आई
36	79° 51' 48.683" पू	19° 06' 42.932" उ	जे जे
37	79° 56' 38.170" पू	19° 10' 17.857" उ	के के
38	79° 55' 41.015" पू	19° 14' 09.291" उ	एल एल

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ प्रणहिता वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम	देशांतर	अक्षांश
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	देवलमरी एस पीटी	पू 79° 58' 27.354"	उ 19° 17' 53.110"
2.	कतेपल्ली एस	पू 80° 00' 00.501"	उ 19° 18' 11.124"
3.	कोलापल्ली एम	पू 80° 01' 33.645"	उ 19° 17' 44.305"
4.	नंदीगांव एम	पू 80° 03' 55.680"	उ 19° 17' 41.869"
5.	तिमाराम एस	पू 80° 05' 14.473"	उ 19° 17' 01.417"
6.	गुडीगुडम	पू 80° 04' 45.802"	उ 19° 16' 35.419"
7.	तिमराम एम	पू 80° 05' 31.065"	उ 19° 16' 33,513"
8.	रायगट्टा	पू 80° 07' 03.106"	उ 19° 15' 43.700"
9.	गोलकरजी	पू 80° 07' 03.106"	उ 19° 14' 43.293"
10.	छलेलेवाड़ा पीटी	पू 80° 09' 21.639"	उ 19° 13' 09.947"
11.	रेपनपल्ली	पू 80° 09' 04.273"	उ 19° 11' 27.114"
12.	टाटीगुडम	पू 80° 10' 42.468"	उ 19° 12' 18.249"
13.	कमलपुर	पू 80° 11' 54.900"	उ 19° 12' 00.567"
14.	गोटलिंगमपल्ली	पू 80° 12' 48.068"	उ 19° 13' 13.341"
15.	कोलामार्क	पू 80° 11' 54.900"	उ 19° 12' 18.249"
16.	मोदुमडगू	पू 80° 11' 29.106"	उ 19° 10' 34.955"
17.	लिंगमपल्ली	पू 80° 11' 29.106"	उ 19° 09' 34.136"
18.	पट्टीगांव एम पीटी	पू 80° 13' 05.705"	उ 19° 07' 10.352"
19.	येदमपल्ली	पू 80° 12' 06.814"	उ 19° 07' 53.239"
20.	अरकापल्ली	पू 80° 10' 05.987"	उ 19° 08' 07.367"
21.	गुंदेरा एस	पू 80° 09' 07.898"	उ 19° 08' 27.427"
22.	गोविंदगाँव	पू 80° 07' 29.726"	उ 19° 07' 04.662"
23.	येनकाबांडा	पू 80° 06' 03.419"	उ 19° 07' 07.516"
24.	करनचा एस	पू 80° 03' 13.737"	उ 19° 06' 33.972"
25.	भासवापुर	पू 80° 02' 48.458"	उ 19° 05' 25.146"
26.	मरपल्ली	पू 80° 02' 10.153"	उ 19° 05' 30.357"
27.	जोगनगुडा	पू 80° 02' 16.031"	उ 19° 04' 24.324"
28.	सुदगदुगम	पू 80° 02' 56.847"	उ 19° 03' 43.095"
29.	सिलमपल्ली	पू 80° 01' 16.271"	उ 19° 05' 32.366"
30.	तिमाराम	पू 80° 01' 06.689"	उ 19° 04' 45.144"
31.	डबबागुडम	पू 80° 00' 10.602"	उ 19° 05' 04.357"
32.	मोटुकपल्ली एस	पू 79° 59' 56.711"	उ 19° 05' 04.357"

33.	बोगाटागुडम	पू 79° 53' 32.738"	उ 19° 07' 13.105"
34.	बॉन्ड्रा	पू 79° 53' 11.252"	उ 19° 07' 33.102"
35.	पेदिगुडम	पू 79° 53' 50.817"	उ 19° 07' 53.535"
36.	ज़ेंडा	पू 79° 54' 14.807"	उ 19° 08' 09.956"
37.	लैंकाचेन एस	पू 79° 55' 21.334"	उ 19° 08' 11.988"
38.	लंकाचेन एम	पू 79° 55' 17.488"	उ 19° 08' 39.996"
39.	केर्नेली एम	पू 79° 56' 02.995"	उ 19° 09' 14.033"
40.	केर्नेली एस	पू 79° 56' 38.365"	उ 19° 09' 23.650"
41.	भीमाराम एम	पू 79° 57' 30.171"	उ 19° 08' 46.046"
42.	व्यंकटापुर एस	पू 79° 57' 16.253"	उ 19° 10' 08.881"
43.	व्यंकटापुर एम	पू 79° 57' 46.712"	उ 19° 10' 29.235"
44.	अवलमरी	पू 79° 56' 58.542"	उ 19° 11' 22.111"
45.	वत्रा ख एस	पू 79° 55' 55.736"	उ 19° 13' 18.545"
46.	वत्राख एम	पू 79° 55' 42.246"	उ 19° 13' 38.549"
47.	वत्रा बीके एस	पू 79° 56' 16.341"	उ 19° 15' 00.199"
48.	वत्रा बीके एम	पू 79° 56' 59.729"	उ 19° 15' 34.628"
49.	देवलमरी एम	पू 79° 57' 00.126"	उ 19° 16' 56.666"
50.	मदाराम राय	पू 80° 01' 15.391"	उ 19° 00' 29.020"
51.	बेजुर्पल्ली	पू 79° 59' 44.847"	उ 19° 01' 25.686"
52.	जार्जपेटा	पू 79° 59' 17.575"	उ 19° 02' 32.084"
53.	कम्बापेटा राय	पू 79° 59' 46.196"	उ 18° 59' 23.792"
54.	कम्बलपेटा चक	पू 79° 59' 55.451"	उ 18° 59' 06.184"
55.	बोरमपल्ली माल	पू 79° 58' 51.511"	उ 18° 58' 40.568"
56.	नेमाडा	पू 79° 58' 44355"	उ 18° 59' 12.183"
57.	टेकडा चक	पू 79° 57' 59.762"	उ 18° 59' 13.377"
58.	टेकडा ताल	पू 79° 57' 37.475"	उ 18° 58' 33.753"
59.	मोकेला	पू 79° 57' 34.936"	उ 18° 59' 36.983"
60.	जाफराबाद डब्ल्यूएल .	पू 79° 57' 07.168"	उ 18° 59' 41.779"
61.	जाफराबाद चक	पू 79° 58' 05.225"	उ 18° 59' 47.394"
62.	चिकयाला	पू 79° 55' 43.353"	उ 19° 03' 23.059"
63.	परसेवाड़ा	पू 79° 55' 26.496"	उ 19° 04' 13.476"
64.	रमन्नापेटा रे	पू 79° 54' 49.877"	उ 19° 04' 14.661"
65.	पीरामेडा	पू 79° 54' 54.099"	उ 19° 03' 49.451"
66.	येल्लामा	पू 79° 54' 38.965"	उ 19° 03' 16.228"
67.	विथालरावपेटा डब्ल्यूएल .	पू 79° 53' 41.290"	उ 19° 03' 44.211"
68.	रेगुन्था माल	पू 79° 53' 04.288"	उ 19° 02' 52.964"

69.	रेगुन्था चक	पू 79° 52' 26.391"	उ 19° 03' 22.153"
70.	चंदाराम चक	पू 79° 52' 11.231"	उ 19° 03' 33.748"
71.	विट्ठलारोपेत मल	पू 79° 52' 40.256"	उ 19° 03' 53.378"
72.	चंदाराम मल	पू 79° 52' 06.568"	उ 19° 04' 15.365"
73.	विट्ठलारोपेता चक	पू 79° 53' 00.853"	उ 19° 04' 31.809"
74.	नरसय्यपल्ली	पू 79° 54' 06.920"	उ 19° 04' 57.860"
75.	कोट्टपल्ली मल	पू 79° 52' 32.182"	उ 19° 05' 36.621"
76.	सोयाबीनपेटा	पू 79° 52' 24.975"	उ 19° 06' 43.848"

उपाबंध-V

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान।

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2020

S.O. 3030(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 637(E), dated the 6th February, 2020, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 10th February, 2020;

AND WHEREAS, no objection and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Pranhita Wildlife Sanctuary is located in Gadchiroli District of Maharashtra. The Sanctuary was notified *vide* notification of the State Government of Maharashtra number WLP - 0514/CR-106/ F-I –

dated, the 27th August, 2014; and the Sanctuary area is having adequate ecological, faunal, floral, geomorphologic, natural and zoological significance. The total area of the Sanctuary is 420.0 square kilometers;

AND WHEREAS, the Pranhita Wildlife Sanctuary has very high faunal and floral diversity with about 22 species of mammals, about 12 species of reptiles and many species of amphibian. The flora of this area is represented by "3B/Cib: South Indian Moist Deciduous Forests and;(ii) 5A/Southern Tropical Dry Deciduous Forests" including species like, achar/ char/charoli (*Buchanania lanzan),* amaltas/bahava (*Cassia fistula,* Linn), amta (*Bauhinia malabarica,* Roxb), anjan (*Hardwickia binata,* Roxb), apta (*Bauhinia racemosa,* Lamk), aonla (*Emblica officinalis*), arjun (*Terminalia arjuna*), babul (*Acacia nilotica* Linn), beheda (*Terminalia bellirica,* Gaertn), bel (*Aegle marmelos),* bhirra (*Chloroxylon swietenia*), biba/Bhilwa (*Semecarpus anacardium,* Linn), bija (*Pterocarpus marsupium, Roxb*), bistendu (*Diospyros montana,* Roxb), bor/Ber (*Zizyphus mauritiana,Lamk*), chichwa (*Albizia odoratissima,* Roxb), dhaman (*Grewia tilifolia* vahl), dhaoda (*Anogeissus latifolia*), Dhoban/Satpuda (*Dalbergia paniculata,* Roxb), dikamali (*Gardenia resinifera,* Roth), garari (*Cleistanathus collinus,* Roxb), ghogar/papda (*Gardenia latifolia*), gongal (*Cochlospermum religiosum* Linn), haldu (*Adina cordifolia*), hingan (*Balanites aegyptica*), hiwar (*Acacia leucophloea* Willd), Imli/Chinch (*Tamarind indica*), jambhul/ jamun (*Syzigium cumini* Linn), kala-umber (*Ficus hispida*), kalamb (*Mitragyna parviflora* Roxb), etc;

AND WHEREAS, important shrubs available in the Pranhita Wildlife Sanctuary are aal (*Moringa citrifolia* Lin), aghada (*Achyranthus aspera*), akola (*Alangium salvifolium Thwaites*), ban rahar (*Flemingia semialata* Roxb*)*, baibirang (*Embelia ribes*), bankapas/Rankapas (*Thespesia lamps*), bharati (*Maytenus emarginata* Benth*)*, chind/Sindhi (*Phoenix sylvestris* Roxb), chipti (*Desmodium pulchellum* Benth), dhawai/Jilbili (*Woodfordia fruticosa* Kurz), dikamali (*Gardenia resinifera* Roth), gurmukhi/gursukri (*Grewia hirsuta*), Gokhru (*Tribulus terrestris,* Linn), harsingar/Kharsui (*Nyctanthus arbortristis*), Jine (*Leea crispa*), Ranbhendi (*Dodonea viscosa*), Koril (*Petalidium barlerioides*), Kasterua (*Hygrophila auriculata*), kharoti (*Grewia hirsuta* vahl), kudursi (*Bridelia hamiltoniana wall*), kudmudi (*Gardenia gummifera* Linn), kuda (*Holarrhena pubescens)*, kala kuda (*Wrightia tinctoria*), kuchala (*Strychnos nuxvomica*), lokhandi (*Ixora arborea* Roxb), Morarphal (*Helicteres isora* Linn), maruadona (*Carvia callosa* Ness), nirmali (*Strychnos potatorum*), Neel (*Indigofera tinctoria*), Phetra-safed (*Gardenia turgida* Roxb), phetra-kala (*Tamilnadia uliginosa),* tarwad (*Cassia auriculata*), tarota (*Cassia tora* Linn), thuar (*Euphorbia tirucalli* Linn*),* warangal (*Celastrus paniculata* Willd*),* etc;

AND WHEREAS, grasses and bamboo species recorded from the Sanctuary are Bamboo-karka (*Dendrocalamus strictus* Roxb*)*, Bamboo-katang (*Bambusa arundinacea* Willd*),* bhurbhusi (*Eragrostis tenella* Roem and Schulf*),* chir (*Imperata officinalis*), doob grass (*Cyanodon dactylon*), ghonad (*Themeda triandra*), godhel (*Eragrostis interapta),* goranti (*Petalidium barleriodes),* kusal/spear grass (*Heteropogon contortus* Linn Beau*),* katanbahari (*Aristida funiculata*), kunda/sum (*Eulaliopsis binata* Retz Mark*)*), marvel-big (*Dicanthium aristatum* poir), marvel-small (*Dicanthium annulatum* Forsek), moonj grass (*Saccharum spontaneum),* mushan (*Iseilema laxum* hack*),* paonya (*Sehima sulcatum Hack Acamus),* sheda (*Sehima nervosum* staff), tachula/bhongta (*Apluda mutica),* tiger grass (*Thysanolaena maxima),* tikhadi (*Cymbopogon martinii Roxb* Watson*),* etc; While important climbers of the Sanctuary are bandke (*Dendropthoe falcate* Linn*),* chilar (*Caesalpinia decapetala* Roxb), chilati (*Mimosa hamata* Willd), chilati badi (*Acacia torta),* dhimarval (*Celastrus paniculata* Willd*),* dudhi/Nagvel (*Cryptolepis buchanani* Roem*),* eroni (*Zizyphus oenoplia* Linn*),* Gunj (*Arbus precatorius* Linn*),* gulvel (*Tinospora cordifolia* Willd), gurar, nasvel (*Millotia extensa),* kajkuri (*Mucuna pruriens),* Khadyanag (*Gloriosa superb),* Khobarvel (*Hemidesmus indicus* Linn*),* kukuranji (*Calycopteris floribunda),* Mahulvel (*Bauhinia vahlii),* musalikand (*Dioscorea pentaphylla* Linn*),* papri, lalvel (*Ventilage denticulata* Willd*),* palasvel (*Butea superba* Roxb*),* Piwarvel (*Combretum ovalifolium* Roxb*),* ramdaton (*Smilax macrophylla* Roxb*),* shataori (*Asparagus recemosus),* etc;

AND WHEREAS, the area also supports important wildlife including mammal such as barking deer (*Muntiacus muntjak*), Indian bison (*Bos gaurus),* blue bull (*Boselaphus tragocamelus),* common langur (*Presbytis entellus),* common mongoose (*Herpestes vittiollis),* deer (*Axis axis*), flying squirrel (*Petaurista petaurista*), four horned antelope (*Tetracerus quadricornis*), giant squirrel (*Ratufa indica*), hare (*Lepus ruficaudatus),* Indian fox (*Vulpes bengalensis),* Indian wolf (*Canis lupus),* jackal (*Canis aureus*), jungle cat (*Felis chaus*), leopard (*Panthera pardus*), monkey, Rhesus macaque (*Macaca mulatta*), mouse deer (*Tragulus meminna),* otter (*Lutra perspicillata),* pangolin (*Manis crassicaudata),* porcupine, Indian crested porcupine, Indian porcupine (*Hystrix indica),* sambar (*Cervus unicolor),* sloth bear (*Melursus ursinus),* small Indian civet (*Vivericulla indica),* striped hyaena (*Hyaena hyaena),* tree shrew, Indian tree shrew (*Anathana ellioti),* wild boar (*Sus cristatus),* wild buffalo (*Bubalus bubalis),* wild dog (*Cuon alpinus*), etc. The reptiles recorded from the Sanctuary are chameleon (*Chameleon cakarats),* fan throated lizard (*Sitana ponticeriana),* monitor lizard (*Varanus grisesus),* rock agama (*Psammophilus dorsalis),* banded krait (*Bungarus fasciatus*), common krait (*Bungarus caeruleus*), common vine snake (*Abaetulla nasutala*), green keelback (*Macropisthodan plumbicolor*), cobra (*Naja naja*), rat snake (*Ptyas mucosus*), Russell's viper (*Vipera russelli),* saw scaled viper (*Echis carinatus*), etc;

AND WHEREAS, the Pranhita Wildlife Sanctuary is known for avifauna with species of birds including ashy prinia (*Prinia socialis*), Asian koel (*Eudynamys scolopaceus*), Asian paradise flycatcher (*Terpsiphone paradise),* bar headed goose (*Anser indicus*), bay backed shrike (*Lanius vittatus*), black drongo (*Dicrurus macrocercus*), black Ibis (*Pseudibis papillosa*), black napped monarch (*Hypothymis azurea),* black winged stilt (*Himantopus himantopus*),

blue Jay (*Coracias benghalensis*), brahmini myna (*Sturnia pagodarum),* cattle egret (*Bubulcus ibis coromandus),* chloropsis (*Chloropsis cochinchinensis),* common dove (*Stigmatopila chinensis),* common Myna (*Acridotheres tristis),* crow Pheasant (*Centropus sinensis),* grey jungle fowl (*Gallus soneratti),* jungle crow (*corvus macrorhynchos),* houses sparrow (*Passer domesticus*), spotted owlet (*Athene brama*), white backed vulture (*Gyps indicus*), rose ringed parakeet (*Psittacula krameri*), etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Pranhita Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from zero to 6.3 kilometres around the boundary of Pranhita Wildlife Sanctuary, in Gadchiroli district in the State of Maharashtra as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.–**(1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of zero to 6.3 kilometres around the boundary of Pranhita Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 532.10 square kilometres.

   (2) The boundary description of Pranhita Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

   (3) The maps of the Pranhita Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC** and **Annexure-IID.**

   (4) List of geo-coordinates of the boundary of Pranhita Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure III.**

   (5) The list of villages falling in the proposed Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the Sate.

   (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

   (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
   (i) Environment;
   (ii) Forest and Wildlife;
   (iii) Agriculture;
   (iv) Revenue;
   (v) Urban Development;
   (vi) Tourism;
   (vii) Rural Development;
   (viii) Irrigation and Flood Control;
   (ix) Municipal;
   (x) Panchayati Raj;
   (xi) Maharashtra State Pollution Control Board; and
   (xii) Public Works Department.

   (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by the State Government**.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.-(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.-All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.-Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.-Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.-Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the State Government, whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.-Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.–Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.-The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management.-The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.-The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.–The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.-Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.–(a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.-The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Protection Act, 1986 and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.

2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
9.	Use of polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
10.	New wood based industry.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
	B. Regulated Activities	
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
12.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.

13.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
15.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
17.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
19.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
23.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
24.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
25.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Wind mills and turbines.	Regulated as per the applicable laws.

C. Promoted Activities		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of degraded land or forests or habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	District Collector, Gadchiroli	Chairman, ex officio;
(ii)	Chief Conservator of Forests (Territorial), Gadchiroli	Member;
(iii)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(iv)	Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board	Member;
(v)	A representative of the Town Planning Office, Gadchiroli	Member;
(vi)	A representative of the Department of Environment, Government of Maharashtra	
(vii)	One expert in Ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of one year in each case	Member;
(viii)	A representative of Biodiversity Board, Maharashtra State Nagpur	Member; and
(ix)	Deputy Conservator of Forests, Sironcha	Member-Secretary.

6. Terms of reference.–(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Monitoring Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph

4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/24/2017-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND PRANHITA WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE MAHARASHTRA

Eco-sensitive Zone boundary starts from extreme North western portion of the Sironcha forest division and goes towards the eastern direction making outer boundary of the Sironcha and Allapalli forest division. It bends towards south east direction at the North-West corner of the Kolpalli M village. Further, it goes along the northern boundary of the same village and half way of later, it bends towards east covering the northern boundary of the Nandigaon village. Then, near Timaram village, it turns southwards and covers Timaram village from its southern boundary and further moves eastward and from eastern boundary of the Raygatta village takes south east direction. It traverses western boundary of the Challewada village.

On western boundary of the Tatigudum village, it takes a U turn and goes towards north east boundary of the Tatigudum village and, northern boundary of the Gottelingampalli village. After crossing KP037 compartment, it takes south-east direction; after covering western boundary of the KP038 and KP059, it meets with the western boundary of Kolamarka conservation reserve and along with it moves southwards making eastern boundary of compartment KP043 and DP028. On western boundary of the Pattigaon village, it bends westwards and covers western boundary of the Lakhanguda village from where it takes north west direction making northern boundary of the Yedranga, Medpalli and Jimmalgatta S villages covering northern boundary of FDCM compartments JP263, JA058 and JA 057 and northern boundary of the JA086 and JA085 and FDCM compartment JP35 and JP33. Now, it bends south east direction making western boundary of the compartment JP252, JP253, JP331, JP339 and SA068. It then takes west-south direction covering western boundary of the SA056, SA057 and SA052. Then, it turn northwards making northern boundary of the Rompalli village and turn west south direction making southern boundary of the Madaram, Kambalpetha Ry. Then it turns south east direction making eastern boundary of the, Kambalpetha Chak village and take sharp U turn making western boundary of the same village. Further it bends towards east in between southern boundary of the Kambalpetha and Borampalli Mal villages. It covers southern boundary of the Borampalli Mal before turning southwards on the eastern boundary of the Tekda Tala villages and covering the southern boundary of the same village meets with Pranhita river at the north western corner of the Glossfard Petha village.

Further, travels north direction bending eastwards on river front boundary of Chikiyala village, again being northwards on the river front boundary of the Reguntha Mal, further bending north east wards on the river front border of the Soyabinpetha, again turning north west direction on the river front border of the Awalmari village and turning north wards on the river front border of the Watra Khurd M village and meets extreme north western corner of the Sironcha Forest division.

ANNEXURE-IIA

MAP OF PRANHITA WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

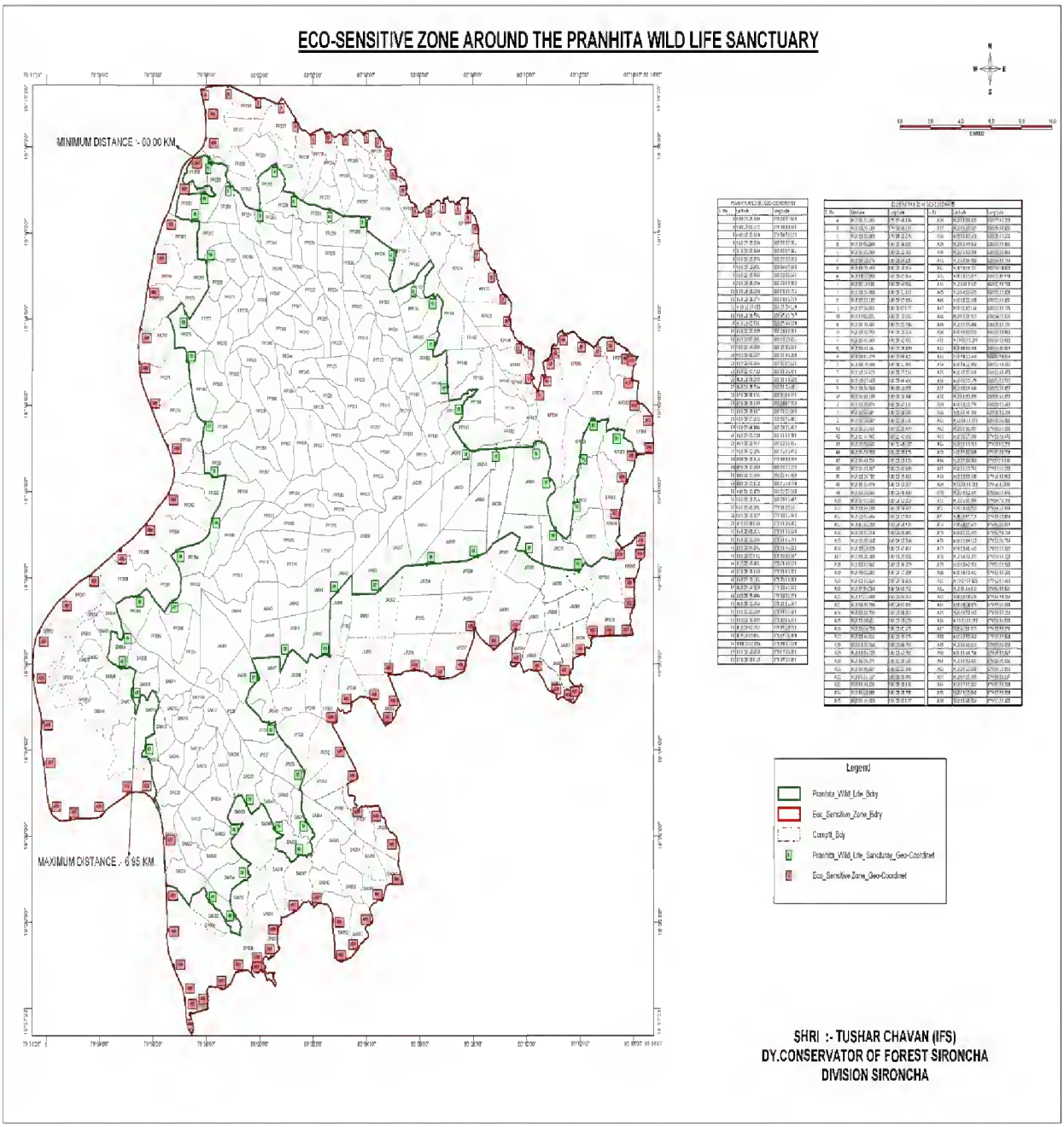

ANNEXURE-IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF PRANHITA WILDLIFE SANCTUARY SHOWING VILLAGE BOUNDARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

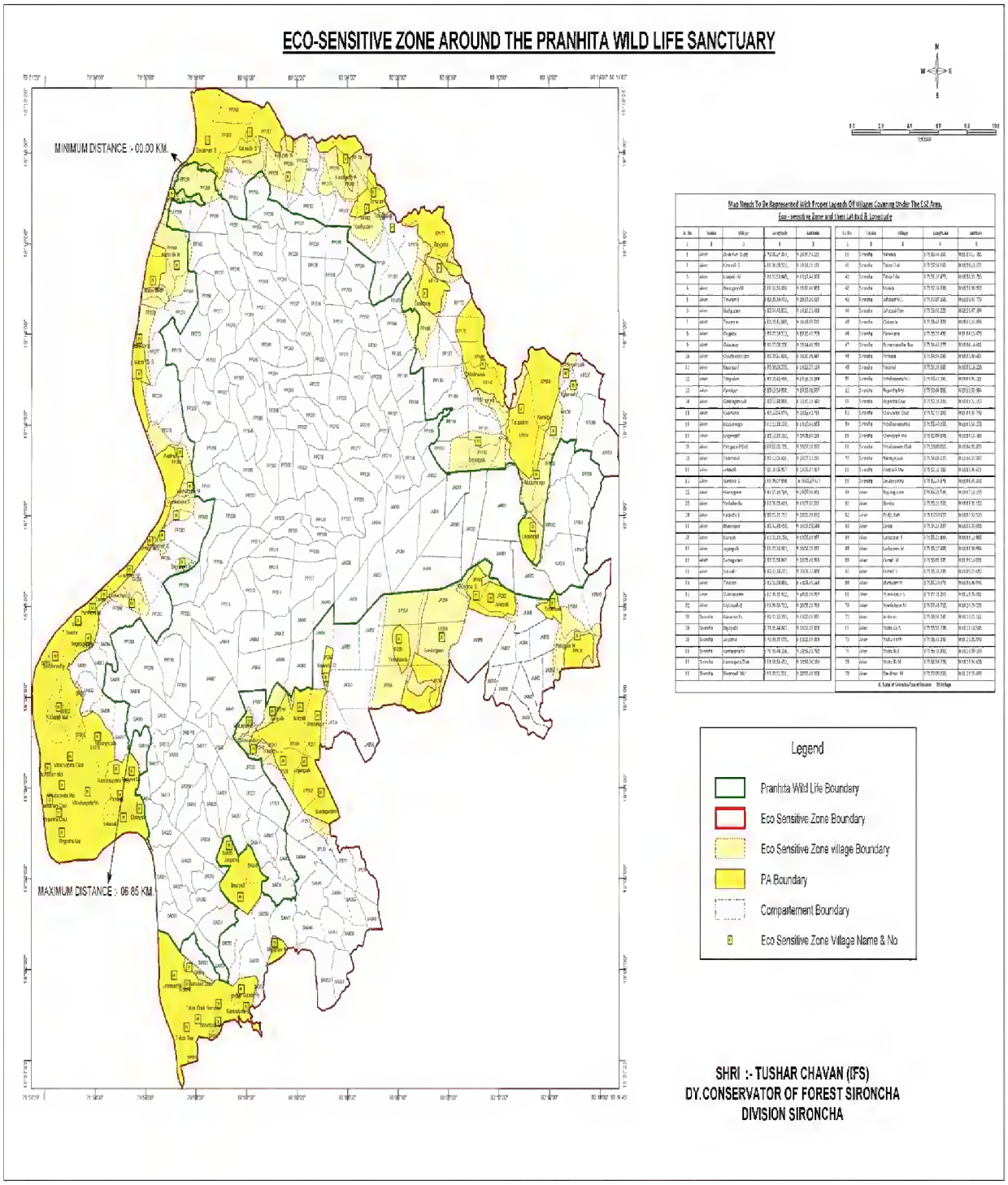

ANNEXURE-IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF PRANHITA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

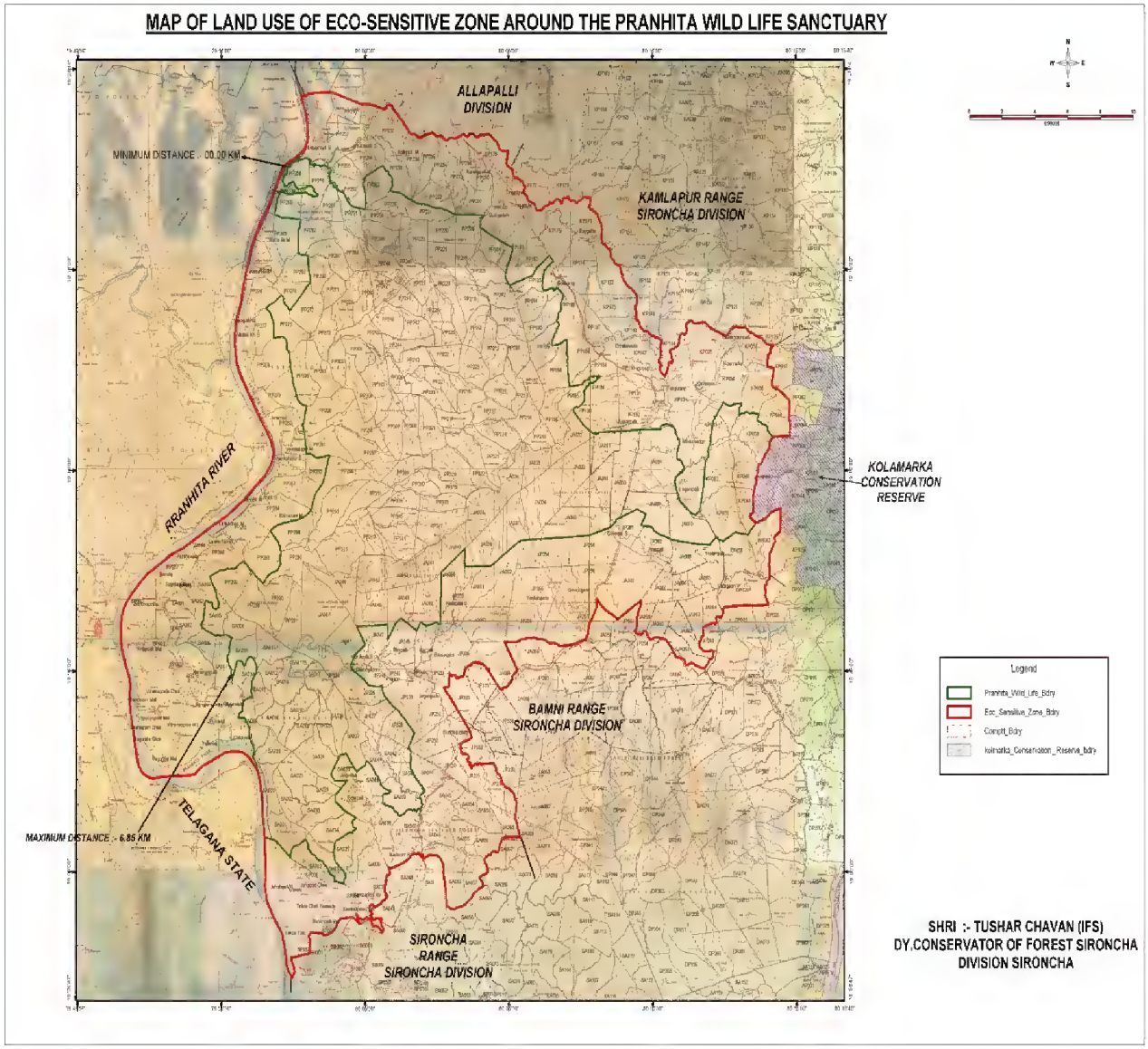

ANNEXURE-IID

MAP SHOWING COMPARTMENT BOUNDARY OF ECO-SENSITIVE ZONE OF PRANHITA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

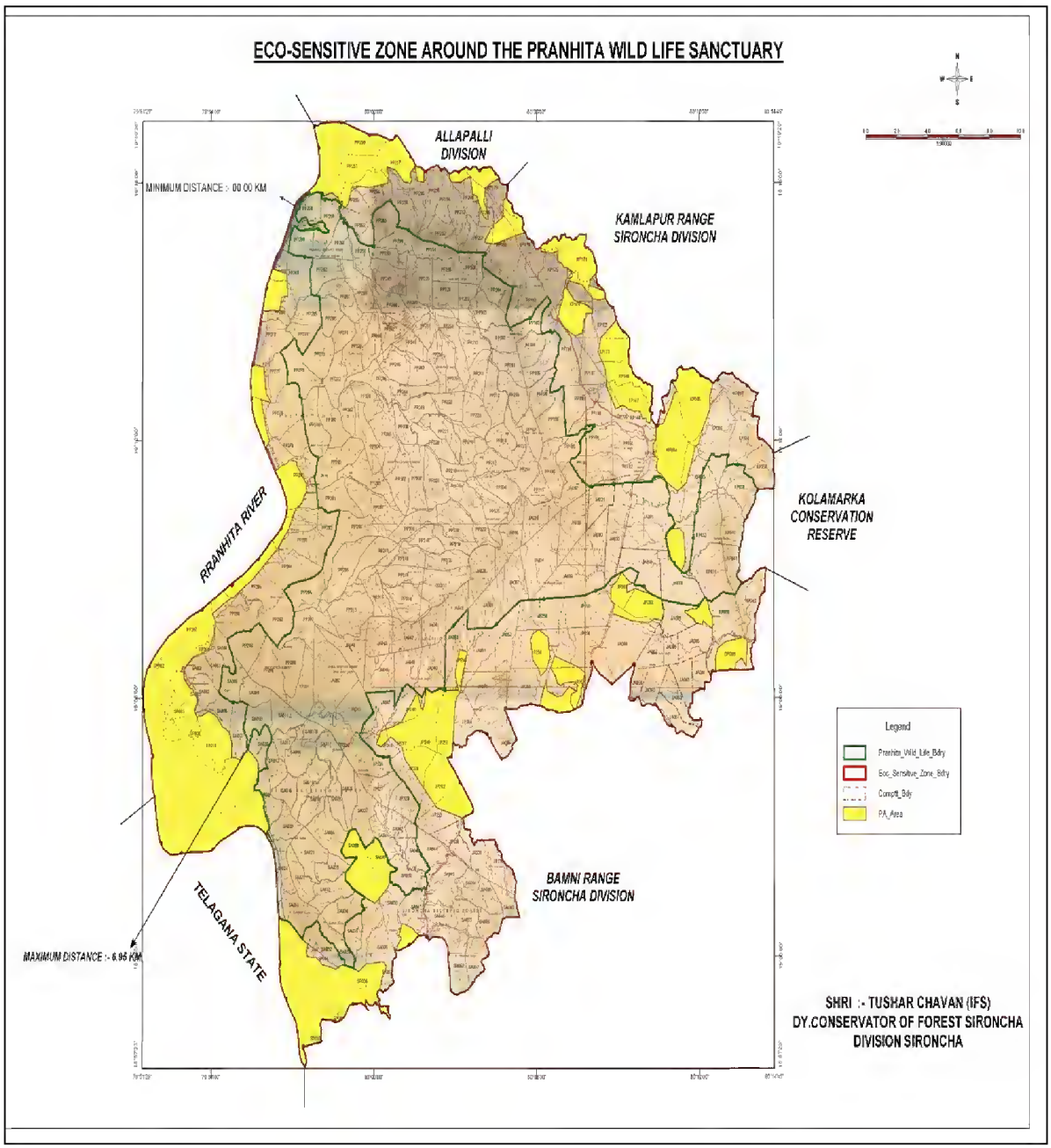

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF PRANHITA WILDLIFE SANCTUARY

Sl. No.	Latitude	Longitude
1.	N 19°17'45.349"	E 79°58'07.647"
2.	N 19°17'05.172"	E 79°58'53.635"
3.	N 19°16'32.909"	E 79°59'59.102"
4.	N 19°17'35.589"	E 80°00'37.681"
5.	N 19°16'52.849"	E 80°01'17.541"

6.	N 19°16'32.076"	E 80°02'37.262"
7.	N 19°16'19.431"	E 80°04'07.695"
8.	N 19°15'35.040"	E 80°05'08.534"
9.	N 19°14'50.656"	E 80°05'46.652"
10.	N 19°14'33.536"	E 80°06'30.781"
11.	N 19°13'26.374"	E 80°06'36.735"
12.	N 19°12'24.083"	E 80°07'04.114"
13.	N 19°11'56.791"	E 80°07'35.797"
14.	N 19°11'02.651"	E 80°07'44.324"
15.	N 19°10'57.309"	E 80°08'52.003"
16.	N 19°11'07.001"	E 80°10'19.831"
17.	N 19°10'14.869"	E 80°10'53.616"
18.	N 19°09'08.107"	E 80°11'04.250"
19.	N 19°09'43.066"	E 80°11'47.478"
20.	N 19°10'47.768"	E 80°12'00.478"
21.	N 19°11'40.238"	E 80°12'33.100"
22.	N 19°11'26.746"	E 80°13'24.491"
23.	N 19°08'08.624"	E 80°11'58.573"
24.	N 19°08'36.830"	E 80°09'57.404"
25.	N 19°08'29.997"	E 80°08'12.043"
26.	N 19°08'17.455"	E 80°06'16.401"
27.	N 19°07'44.944"	E 80°04'31.462"
28.	N 19°07'41.720"	E 80°02'56.392"
29.	N 19°06'10.957"	E 80°02'38.811"
30.	N 19°06'12.195"	E 80°01'02.472"
31.	N 19°05'38.414"	E 79°59'57.390"
32.	N 19°04'37.360"	E 80°00'22.220"
33.	N 19°03'31.006"	E 80°01'41.409"
34.	N 19°02'22.218"	E 80°01'45.249"
35.	N 19°01'32.970"	E 80°01'27.266"
36.	N 19°02'10.014"	E 80°00'32.487"
37.	N 19°02'43.391"	E 79°59'29.141"
38.	N 19°02'16.527"	E 79°59'21.866"
39.	N 19°01'08.960"	E 79°59'34.281"
40.	N 19°00'08.311"	E 79°59'05.614"
41.	N 19°00'31.504"	E 79°58'05.702"
42.	N 19°04'04.342"	E 79°55'44.822"
43.	N 19°05'07.832"	E 79°55'30.667"
44.	N 19°05'53.401"	E 79°54'49.115"
45.	N 19°06'36.956"	E 79°54'53.803"
46.	N 19°07'33.141"	E 79°55'28.889"

47.	N 19°07'24.619"	E 79°56'43.832"
48.	N 19°08'35.444"	E 79°56'52.374"
49.	N 19°09'21.863"	E 79°58'11.597"
50.	N 19°10'21.289"	E 79°58'11.586"
51.	N 19°11'36.993"	E 79°57'56.578"
52.	N 19°13'02.052"	E 79°57'16.713"
53.	N 19°14'07.582"	E 79°57'15.409"
54.	N 19°15'20.042"	E 79°58'02.103"
55.	N 19°16'16.610"	E 79°57'24.803"
56.	N 19°16'16.610"	E 79°57'24.803"

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

S. No.	Longitude	Latitude	Point id
1.	79° 57' 46.624" E	19° 19' 18.974" N	a
2.	80° 00' 53.319" E	19° 19' 08.039" N	b
3.	80° 01' 53.162" E	19° 18' 20.594" N	c
4.	80° 05' 00.930" E	19° 18' 06.981" N	d
5.	80° 06' 06.757" E	19° 16' 33.116" N	e
6.	80° 07' 43.390" E	19° 16' 55.992" N	f
7.	80° 10' 25.592" E	19° 12' 16.447" N	g
8.	80° 11' 29.342" E	19° 13' 41.875" N	h
9.	80° 14' 20.520" E	19° 13' 10.396" N	i
10.	80° 14' 42.264" E	19° 10' 50.662" N	j
11.	80° 13' 34.057" E	19° 08' 41.469" N	k
12.	80° 14' 35.527" E	19° 09' 06.413" N	l
13.	80° 13' 58.016" E	19° 06' 36.328" N	m
14.	80° 11' 41.949" E	19° 05' 42.272" N	n
15.	80° 11' 46.287" E	19° 05' 00.563" N	o
16.	80° 09' 36.987" E	19° 06' 47.033" N	p
17.	80° 08' 02.663" E	19° 06' 51.279" N	q
18.	80° 07' 36.293" E	19° 05' 50.827" N	R
19.	80° 04' 51.785" E	19° 05' 50.920" N	S
20.	80° 04' 42.978" E	19° 04' 40.027" N	T
21.	80° 02' 35.772" E	19° 04' 35.899" N	U
22.	80° 03' 50.315" E	19° 03' 31.236" N	V
23.	80° 03' 48.101" E	19° 02' 37.021" N	W
24.	80° 05' 11.403" E	19° 01' 53.198" N	X
25.	80° 05' 28.903" E	19° 00' 40.207" N	Y
26.	80° 03' 01.988" E	18° 58' 58.088" N	Z
27.	80° 02' 02.822" E	19° 00' 19.425" N	Aa
28.	80° 00' 48.281" E	18° 59' 21.048" N	Bb
29.	80° 00' 32.934" E	18° 58' 26.833" N	cc
30.	79° 59' 49.098" E	18° 58' 35.175" N	dd
31.	79° 58' 08.274" E	18° 58' 28.910" N	ee

32.	79° 58' 01.704" E	18° 57' 59.716" N	ff
33.	79° 57' 24.455" E	18° 57' 18.003" N	gg
34.	79° 56' 14.208" E	19° 02' 30.766" N	hh
35.	79° 52' 17.400" E	19° 02' 24.388" N	ii
36.	79° 51' 48.683" E	19° 06' 42.932" N	jj
37.	79° 56' 38.170" E	19° 10' 17.857" N	kk
38.	79° 55' 41.015" E	19° 14' 09.291" N	ll

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF PRANHITA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No.	Village	Longitude	Latitude
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Devalmari S Pt	E 79° 58' 27.354"	N 19° 17' 53.110"
2.	Katepalli S	E 80° 00' 00.501"	N 19° 18' 11.124"
3.	Kolapalli M	E 80° 01' 33.645"	N 19° 17' 44.305"
4.	Nandigaon M	E 80° 03' 55.680"	N 19° 17' 41.869"
5.	Timaram S	E 80° 05' 14.473"	N 19° 17' 01.417"
6.	Gudigudam	E 80° 04' 45.802"	N 19° 16' 35.419"
7.	Timram M	E 80° 05' 31.065"	N 19° 16' 33,513"
8.	Raygatta	E 80° 07' 03.106"	N 19° 15' 43.700"
9.	Golakaraji	E 80° 07' 03.106"	N 19° 14' 43.293"
10.	Chhallewada pt	E 80° 09' 21.639"	N 19° 13' 09.947"
11.	Repanpalli	E 80° 09' 04.273"	N 19° 11' 27.114"
12.	Tatigudam	E 80° 10' 42.468"	N 19° 12' 18.249"
13.	Kamalpur	E 80° 11' 54.900"	N 19° 12' 00.567"
14.	Gotelingampalli	E 80° 12' 48.068"	N 19° 13' 13.341"
15.	Kolamarka	E 80° 11' 54.900"	N 19° 12' 18.249"
16.	Modumadgu	E 80° 11' 29.106"	N 19° 10' 34.955"
17.	Lingampalli	E 80° 11' 29.106"	N 19° 09' 34.136"
18.	Pattigaon M pt	E 80° 13' 05.705"	N 19° 07' 10.352"
19.	Yedampalli	E 80° 12' 06.814"	N 19° 07' 53.239"
20.	Arkapalli	E 80° 10' 05.987"	N 19° 08' 07.367"
21.	Gundera S	E 80° 09' 07.898"	N 19° 08' 27.427"
22.	Govindgaon	E 80° 07' 29.726"	N 19° 07' 04.662"
23.	Yenkabanda	E 80° 06' 03.419"	N 19° 07' 07.516"
24.	Karancha S	E 80° 03' 13.737"	N 19° 06' 33.972"
25.	Bhaswapur	E 80° 02' 48.458"	N 19° 05' 25.146"
26.	Marpalli	E 80° 02' 10.153"	N 19° 05' 30.357"
27.	Joganguda	E 80° 02' 16.031"	N 19° 04' 24.324"
28.	Suddagudam	E 80° 02' 56.847"	N 19° 03' 43.095"
29.	Silmpalli	E 80° 01' 16.271"	N 19° 05' 32.366"
30.	Timaram	E 80° 01' 06.689"	N 19° 04' 45.144"
31.	Dubbagudam	E 80° 00' 10.602"	N 19° 05' 04.357"
32.	Motukpalli S	E 79° 59' 56.711"	N 19° 05' 04.357"
33.	Bogatagudam	E 79° 53' 32.738"	N 19° 07' 13.105"
34.	Bondra	E 79° 53' 11.252"	N 19° 07' 33.102"

35.	Pedigudam	E 79° 53' 50.817"	N 19° 07' 53.535"
36.	Zenda	E 79° 54' 14.807"	N 19° 08' 09.956"
37.	Lankachan S	E 79° 55' 21.334"	N 19° 08' 11.988"
38.	Lankachen M	E 79° 55' 17.488"	N 19° 08' 39.996"
39.	Kerneli M	E 79° 56' 02.995"	N 19° 09' 14.033"
40.	Kerneli S	E 79° 56' 38.365"	N 19° 09' 23.650"
41.	Bhimaram M	E 79° 57' 30.171"	N 19° 08' 46.046"
42.	Vyenkatapur S	E 79° 57' 16.253"	N 19° 10' 08.881"
43.	Vyenkatapur M	E 79° 57' 46.712"	N 19° 10' 29.235"
44.	Avalmari	E 79° 56' 58.542"	N 19° 11' 22.111"
45.	Watra Kh S	E 79° 55' 55.736"	N 19° 13' 18.545"
46.	Watra Kh M	E 79° 55' 42.246"	N 19° 13' 38.549"
47.	Watra Bk S	E 79° 56' 16.341"	N 19° 15' 00.199"
48.	Watra Bk M	E 79° 56' 59.729"	N 19° 15' 34.628"
49.	Devalmari M	E 79° 57' 00.126"	N 19° 16' 56.666"
50.	Madaram Ry	E 80° 01' 15.391"	N 19° 00' 29.020"
51.	Bejurpalli	E 79° 59' 44.847"	N 19° 01' 25.686"
52.	Jarjpetha	E 79° 59' 17.575"	N 19° 02' 32.084"
53.	Kambapeta Ry.	E 79° 59' 46.196"	N 18° 59' 23.792"
54.	Kambalpeta Chak	E 79° 59' 55.451"	N 18° 59' 06.184"
55.	Borampalli Mal	E 79° 58' 51.511"	N 18° 58' 40.568"
56.	Nemada	E 79° 58' 44355"	N 18° 59' 12.183"
57.	Tekda Chak	E 79° 57' 59.762"	N 18° 59' 13.377"
58.	Tekda Tala	E 79° 57' 37.475"	N 18° 58' 33.753"
59.	Mokela	E 79° 57' 34.936"	N 18° 59' 36.983"
60.	Jafrabad W.I	E 79° 57' 07.168"	N 18° 59' 41.779"
61.	Jafrabad Chak	E 79° 58' 05.225"	N 18° 59' 47.394"
62.	Chikayala	E 79° 55' 43.353"	N 19° 03' 23.059"
63.	Parsewada	E 79° 55' 26.496"	N 19° 04' 13.476"
64.	Ramannapetha Ray	E 79° 54' 49.877"	N 19° 04' 14.661"
65.	Pirmeda	E 79° 54' 54.099"	N 19° 03' 49.451"
66.	Yellamal	E 79° 54' 38.965"	N 19° 03' 16.228"
67.	Vithalraopeta W.I.	E 79° 53' 41.290"	N 19° 03' 44.211"
68.	Reguntha Mal	E 79° 53' 04.288"	N 19° 02' 52.964"
69.	Reguntha Chak	E 79° 52' 26.391"	N 19° 03' 22.153"
70.	Chandaram Chak	E 79° 52' 11.231"	N 19° 03' 33.748"
71.	Vithalraopeta Mal	E 79° 52' 40.256"	N 19° 03' 53.378"
72.	Chandaram Mal	E 79° 52' 06.568"	N 19° 04' 15.365"
73.	Vithalraopeta Chak	E 79° 53' 00.853"	N 19° 04' 31.809"
74.	Narsayyapalli	E 79° 54' 06.920"	N 19° 04' 57.860"
75.	Kottapalli Mal	E 79° 52' 32.182"	N 19° 05' 36.621"
76.	Soyabinpetha	E 79° 52' 24.975"	N 19° 06' 43.848"

ANNEXURE–V

Performa of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.09.03 23:26:14 +05'30'